

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 1999/कार्तिक 5, 1921

No. 241 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 1999/KARTIKA 5, 1921

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1999

सं.12011/68/98-बी.सी.सी.— भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) मंत्रालय के अ.शा. सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं। इस संबंध में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित समान सूचियों को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी) दिनांक 10 सितम्बर, 1993, सं. 12011/9/94-बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर, 1994, सं. 12011/7/95-बी. सी. सी. दिनांक 24 मई, 1995, सं.12011/96/94-बी.सी.सी. दिनांक 9 मार्च, 1996, सं.12011/44/96-बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर, 1996, सं. 12011/13/97-बीसीसी, दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 तथा सं. 12011/99/94- बी. सी. सी. दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के तहत जारी की गई है।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के उपबंध के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने तथा कम शामिल करने के लिए अनुरोधों को प्राप्त करने, जांचने और उन पर सिफारिश करने के लिए की गई थी।

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने/संशोधन करने के लिए जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नामों की सिफारिश की है। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अनुबंध में दिए गए अन्तर्वेशनों/संशोधनों को अधिसूचित करने का निर्णय किया है। ये अंतर्वेशन/संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

## अनुलग्नक

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन करना।

1. आन्ध्र प्रदेश
2. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़.
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
4. गोवा
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. राजस्थान
14. तमिलनाडु
15. त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल

## 1. राज्य : आंध्र प्रदेश—अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	44 गान्दला	44 गान्दला तेलिकुला देवाथिलाकुला
2.	59 विश्वब्राह्मिण ( आसूला या कमसाली, कम्मारी, कंचारी, वादला या वडरा या वडरांगी और सिल्पी)	59 विश्वब्राह्मिण या विश्वकर्मा ( आसूला या कमसाली, कम्मारी, कंचारी, वादला या वडरा या वडरांगी और सिल्पी)
3.	शून्य	94. पाला-एकारी
4.	शून्य	95. अययाराका
5.	शून्य	96. नागारालु
6.	शून्य	97. पोंडारा
7.	शून्य	98. लोध, लोधा, लोधी
8.	शून्य	99. कुराकुला
9.	शून्य	100. कासी कपाड़ी

## 2. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	55 भर राजभर
2.	शून्य	56. रामगढ़िया
3.	शून्य	57. गुज्जर
4.	शून्य	58. सैनी

## 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1. 5	बढ़ई बरहई खाती तरखान जंगरा-ब्राहमण विश्वकर्मा	5 बढ़ई बरहई खाती तरखान जंगरा-ब्राहमण विश्वकर्मा, रामगढ़िया, पंचाल, धीमन
2. 12	भरभूजा	12. भरभूजा कानू
3. 19.	धोबी (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	19. धोबी (उनके अलावा जो दिल्ली की अनुसूचित जातियों की सूची में पहले शामिल हैं) कस्सार,
4. 36.	लुहार, भुभलिया	36. लुहार,  भुभलिया सैफी
5. 51.	तेली	51. तेली तेली-मलिक
6. शून्य.		52. कलवार

## 4. राज्य गोवा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	9. कुम्भार
2.	शून्य	10. तेली
3.	शून्य	11. सिम्पी

## 5. राज्य : गुजरात : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1. 23.	घांची (मुस्लिम)	23. घांची (मुस्लिम), तेली, मोध घांची
2. शून्य		82. माली

## 6. राज्य : हरियाणा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1	2	3
1. 19.	धिमर मल्लाह, कश्यप-राजपूत कहार, झिनवर या झिवर, धिवर	19 धिमर, मल्लाह, कश्यप-राजपूत, कहार, झिनवर या झिवर धिवर, केवट,

1	2	3
		मेहरा, निषाद,
2.	29. हज्जाम, नाई	29. हज्जाम, नाई, सैन, सलमानी
3.	40. लोहार या लहार	40. लोहार या लुहार, सैफी
4.	शून्य	70. भर, राजभर
5.	शून्य	71. रंगरेज, नीलगर, लीलगर, लल्लारी
6.	शून्य शून्य	72. जैसवार 74. ग्रामीणी

## 7. राज्य : कर्नाटक : : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1	2	3
1.	82. गोनीगा सादुसेटी	82. गोनीगा सादुसेटी साधु चेट्टी साधु सैटी सादु चेट्टी साधु सेट्टी तेलुगु चेट्टी तेलुगु चेट्टीयार तेलुगु सेटी, तेलुगु शेटी तेलुगुपत्ती चेट्टी तेलुगु चेट्टी तेलुंगु चेट्टीआर 24. माने तेलुगु सेट्टी 24. माने तेलुगु चेट्टी 24. माने तेलुगु चेट्टियार 24. मानई तेलुगु सेट्टी 24. मानई तेलुगु चेट्टी 24. मानई तेलुगु चेट्टियार सालपारू सानापारू सानापार सालापार जानापार, जानापन जानाप चेट्टी जानाप सेट्टी

1	2	3
		जानापा सेट्टी गोनी चेट्टी, जानापा सेट्टी गोनी गामाने
2. 87.	गंगाकुला गंगेमाक्कालु गंगामाथा गंगापुत्र गौरीमाथा अमबीग अमबीगा बेसता कब्बालिग कबीली कब्बर कबेरा खारवी बाय भोयी बोय बोई थोरेया हरकन्थरा हरिकन्थरा कहार मीनागर मोगावीरा खारिया सुन्नागार सिवियार परिवारा	87. गंगाकुला गंगेमाक्कालु गंगामाथा गंगापुत्र गौरीमाथा अमबीग अमबीगा बेसता कब्बालिग कबीली कब्बर कबेरा खारवी भोई भोयी बोय बोई थोरेया हरकन्थरा हरिकन्थरा कहार मीनागर मोगावीरा खारिया सुन्नागार सिवियार परिवारा गालडाकोन्कानी
3. 145	तिगाला धिगाला तिगलर वनिकुला क्षत्रिय शंभुकुला क्षत्रिय अग्निकुला क्षत्रिय  धर्मराजा कापु कारूवन पल्ली	145 तिगाला धिगाला तिगलर वनिकुला क्षत्रिय वनिया वनियार वनिया गावन्डर गाऊंडर/गौवन्डर पदयाची कांडेर शंभुकुला क्षत्रिय अग्निकुला क्षत्रिय धर्मराजा कापु कुरावन पल्ली

1	2	3	
4.	155	इदिगा अदिगा अलिगा इलिगा हैलपैक बिल्लावा देवर मलयाली बिल्लावा दिवर देर्वामाक्कालु नामधारी कलाल गोउंदला गूंडला धियाम तियन	155. इदिगा अदिगा अलिगा इलिगा हैलपैक बिल्लावा दिवर मलयाली बिल्लावा दीवर देर्वामाक्कालु नामधारी कलाल गोउंदला  मूंडला धियान, तियन इझावा थीया
5.	शून्य	172 कुमारापंथ, कोमारापंत कोमारपैक	
6.	शून्य	173 कोत्तारी, कोत्तारी, कोत्तरी, कोत्तरी	
7.	शून्य	174 नायरी	
8.	शून्य	175. कोयावा	

## 8. राज्य : केरल : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1	2	3
1.	10.	10.
	चेट्टिज ( कोत्तार चेट्टिज, पारक्का चेट्टिज, इलुर चेट्टिज, आटिंगल चेट्टिज, पुडुक्काडा चेट्टिज, ईरानील चेट्टिज, श्री पंडारा चेट्टिज, तेलुगु चेट्टिज, उदयामुकुलांगर चेट्टिज, वयदनाडन चेट्टिज,	चेट्टिज ( कोत्तार चेट्टिज, पारक्का चेट्टिज, इलुर चेट्टिज, आटिंगल चेट्टिज पुडुक्काडा चेट्टिज ईरानील चेट्टिज श्री पंडारा चेट्टिज तेलुगु चेट्टिज उदयामुकुलांगर चेट्टिज वयदनाडन चेट्टिज

1	2	3
	कालवारा चेट्टिज)	कलवारा चेट्टिज, साधु चेट्टिज और 24 मानई तेलुगू चेट्टिज)
2. 27.	विश्वकर्मा शामिल असारी, चेपटेगरा, कल्लसारी कम्माला कारुवन कितरान कोल्लन मालायाला कम्माला पांडिकम्माली मूसारी पेरुम्कोल्लन थट्टन पांडिथट्टन विलकुरुप विल्लासन विश्वब्राह्मणन या विश्व ब्रह्मनार और विश्वकर्माला	27. विश्वकर्मा शामिल असारी चेपटेगरा कल्लासारी कम्माला कारुवन कितरान कोल्लन मालायाला कम्माला पांडिकम्माला मूसारी पेरुम्कोल्लन थट्टन पांडिथट्टन विलकुरुप विल्लासन विश्वब्राह्मणन या विश्व ब्रह्मनार और विश्वकर्माला थाचन कालथाचन कमसाला कन्नन
3. 30.	कावुथयान	30. कावुथियान अडूथोन
4. 64.	वीरसोईवा (योगी और योगीश्वरा)	64. वीरसाईवा (योगी और योगीश्वरा), पूपण्डारम, मालापंडारम और जंगम
5.	शून्य	74. तच्चर
6.	शून्य	75. वेतुवा नाविथन
7.	शून्य	76. कोंगु नाविथन
8.	शून्य	77. सारस्वत गैर ब्राह्मण
9.	शून्य	78. ओडडे बोयन [मालाबार जिले में रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 5 की उपधारा (2) में संदर्भित]
10.	शून्य	79. कल्लन मूपपन या कल्लन मूप्पर
11.	शून्य	80. मुखारि या मूवारि

## 9. राज्य : मध्य प्रदेश :: अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1. 11.	धीमर/धीमेर भोई कहार धीवर मल्लाह नावडा नावडा तुराहा केवट (रकवार रायकवार) किर ( भोपाल, रायसैन और सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रिटिया/ब्रिटिया सोंधिया	11. धीमर/धीमेर भोई कहार, कहरा धीवर मल्लाह नावडा नावडा तुराहा केवट (रकवार रायकवार) किर ( भोपाल, रायसैन और सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रिटिया/ब्रिटिया सोंधिया
2. 30.	काछी ( कुशवाहा/कोशवाहा, मोर्य )	30. काछी ( कुशवाहा/कोशवाहा, मोर्य ) कोयरी/कोइरी ( कुशवाहा ), शाक्य, मुराई पनारा/पन्हारा सोनकर
3. 59(7)	मेवाती	59(7) मेवाती मेव
4. 59(9)	कुन्जडा	59(9) कुन्जड़ा राईन
5. 59(14)	हज्जाम ( बाबंर )	59(14) हज्जाम ( बाबंर ) नाई ( बारबर )
6. 59(16)	लुहार	59(16) लुहार सैफी नागौरी लुहार
7.	शून्य	60. घोसी
8.	शून्य	61. पिंजारा ( हिन्दू )
9.	शून्य	63. पनिका( छत्तरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिलों को छोड़कर जहां यह अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं )

## 10. राज्य : महाराष्ट्र : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1	2	3
1. 44	जुलाहा और	50. जुलाहा, मोमिन
166.	मोमिन	जुलाहा-अंसारी, मोमिन-अंसारी



1	2	3
2.	56. खाव्रा या खावा	65. कोली
	58. कोली-सूर्यावंशी	क्रिश्चन कोली
	65. कोली	चुम्बले
	82. मंगेला/मंगला	गाबीत
		खारवा या
		खारवी
		मच्छिमार कोली
142.	वैती	मांगेला/मांगला
173.	गाबिल	पानभरे (पानभरी), सोन कोली, कोली सूर्यवंशी, वैती

(पुरानी प्रविष्टियां सं. 56, 58, 65, 82, 142 और 173 नई प्रविष्टियां सं. 65 में समायोजित की गई हैं )

3.	159 माली (उपजातियां) फूलमाली फुले हलदे काचा कडू बावने अधप्रभु अधशेठी जिरे उन्हे लिंगायत माली	159 माली (उपजातियां) फूलमाली फुले हलदे काचा कडू बावने अधप्रभु अधशेठी जिरे उन्हे लिंगायत माली बनका माली गासे माली कोसरे माली मरार मराल सावता माली वनमाली
----	---	---

### 11.राज्य : उड़ीसा: अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1	2	3
1. 48.	हांसी तांती सुकुली	48. हांसी तांती सुकुली

1	2	3
	वीना तुलभिना	वीना तुलभिना रंगानी डेरा देवंगा कोस्टा सालिया पटसालिया बुना बुनकर/बुनकरा बंगाली तांती वंगिया तांती
2.	शून्य	180. थोरिया/थोड़िया थुड़िया/थुरिया
3.	शून्य	181. कालंजी/कालिंजी कालिंजी

## 12. राज्य : पंजाब : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/पर्यायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1. 40.	झांगड़ा ब्राहमण अथवा	40. झांगड़ा, ब्राह्मण, खाती,
43.	खाती अथवा	लोहार, सैफी,
51.	लोहार	रामगढ़िया, तरखान
2. शून्य		65. भार, राजभार
3. शून्य		66. रहबारी,

## 13. राज्य : राजस्थान :—अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/प्रयायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1	2	3
1. 3.	बढ़ई, जांगिड़, खत्री, सूथार	3. बढ़ई, जांगिड़, खत्री, खरादी, सुथार, तरखान
2. 11	तरखान दरोगा, रावणा राजपूत हजूरी	11. दरोगा, रावणा राजपूत, हजूरी, वजीर
3. 27.	केन्देरा, पिनजारा	27. कन्देरा, पिनजारा, मंसूरी
4. 31.	लखेरा ( लखारा )	31. लखेरा ( लखारा ), मनिहार

1	2	3
5.	32. लोधी (लोधा)	32. लोधी (लोधा, लोध)
6.	शून्य	53. सक्का-भिरती, सक्का-भिरती, भिरती अब्बासी
7.	शून्य	54. मोची (उन्हें छोड़कर जो राजस्थान अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं)
8.	शून्य	55. धोबी (उन्हें छोड़कर जो राजस्थान अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं)
9.	शून्य	56. रंगरेज, नीलगर,
10.	शून्य	57. चुनगर
11.	शून्य	58. जाट (धौलपुर और भरतपुर के अतिरिक्त)

## 14. राज्य : तमिलनाडु :—अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/प्रयायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	96. मरूतुवर, नावीथर वेलककातालावर	96. मरूतुवर, नावीथर, मनगला, वेलककातालावर, वेलकटालानायर और परोनोपकारी
2.	118. परकावाकुलम, ( सुरथीमार, नाथामार, मलयमार )	118. परकावाकुलम ( सुरथीमार में वे सुरथीमार शामिल हैं जो स्वयं को मूपनार कहते हैं नाथामार में वे नाथामार शामिल हैं, जो स्वयं को नयनार, मलयामार कहते हैं )
3.	146. थोरियार	146. थोरियार, बडगा, नीलगिरी, थोरइयार
4.	156. वननार ( सालवई थोजिल्लार ) राजकुलम वेलुथाडार और राजका शामिल हैं ( कन्याकुमारी जिला और तिरूनलवेली जिला में शेन कोट्टाह तालुका जहां ये अनुसूचित जाति के समुदाय हैं, के अतिरिक्त )	156. वननार ( सालवई थोलिल्लार ) जिसमें अगासा, मडीवाला, इकाली, राजकुला, वेलुथाडार, और राजका, शामिल हैं । ( कन्या कुमारी जिला और तिरूनलवेली जिला में शेन कोट्टाह तालुका जहां ये अनुसूचित जाति के समुदाय हैं, के अतिरिक्त )
5.	शून्य	173. बट्टूरकास
6.	शून्य	174. देवागुडी तालयारी
7.	शून्य	176. पुलवार
8.	शून्य	177. ननगुडी वेलालार

## 15. राज्य : त्रिपुरा :—अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/प्रयायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	25. नापित	25. नापित शिल
2.	30. पैनकी	30. पेनकी, पैनाक
3.	शून्य	36. कुरी

## 16. राज्य : उत्तर प्रदेश :—अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/प्रयायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	2. अरख	2. अरख, अर्कवंशीय
2.	17. चिकवा (कस्साव)	17. चिकवा, कस्साव (कुरेशी), चक
3.	23. तेली	23. तेली, समानी, रोगानगर, तेलीमलिक (मुस्लिम)
4.	40. मनिहार	40. मनिहार, कचेर, लखेर
5.	42. मोमीन (अंसार)	42. मोमीन, (अंसार, अंसारी)
6.	48. लोध, लोधा	48. लोध, लोधा, लोधी, लोधी-राजपूत
7.	49. लोहार, लुहार	49. लोहार, लुहार, सैफी
8.	50. लोनिया, लुनिया	50. लोनिया, लुनिया, गोले-ठाकुर
9.	शून्य	59. खुमारा, संगतरास, हनसारी

## 17. राज्य : पश्चिम बंगाल :—अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों ( उप जातियों/प्रयायों सहित ) के नाम

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	3. ग्वाला, गोपे	5. ग्वाला, गोप (पल्लव गोप, बल्लव गोप, यादव गोप, गोप, अहीर और यादव)
2.	शून्य	21. चित्रकार
3.	शून्य	29. फकीर, सेन
4.	शून्य	35. कहार
5.	शून्य	36. बतकार (बेनतकार)

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT**

**RESOLUTION**

New Delhi, the 27th October, 1999

**No. 12011/68/98-BCC.**—The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated the 8th September, 1993, have reserved 27% of vacancies in Civil posts and services under the Central Government, to be filled through direct recruitment, in favour of the Other Backward Classes (OBCs). In this regard the common lists in respect of 26 States/UTs have been notified vide Ministry of Welfare Resolutions No. 12011/68/93-BCC(C) dated the 10th September, 1993, No. 12011/9/94-BCC dated the 19th October, 1994, No. 12011/7/95-BCC dated the 24th May, 1995, No. 12011/96/94-BCC dated the 9th March, 1996, No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996, No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 and No. 12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997.

2. The National Commission for Backward classes was set up under the provision of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over inclusion and under-inclusion in the Central List of Other Backward Classes.

3. The National Commission for Backward Classes have recommended names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) for inclusion/amendment in the Central Lists of OBCs in respect of Andhra Pradesh, Chandigarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal. The Government have accepted the recommendations of the Commission and have decided to notify annexed inclusions/ amendments in the Central Lists of OBCs in respect of aforesaid States/UTs. These inclusions/amendments shall take effect from the date of issue of this Resolution.

Gauri Chatterjee, Jt. Secy.

**Annexure**

**Inclusion/Amendment in the Central List of Other Backward Classes (OBCs) in respect of under mentioned States/UTs**

1. Andhra Pradesh
2. UT of Chandigarh
3. NCT of Delhi
4. Goa
5. Gujarat
6. Haryana
7. Karnataka
8. Kerala
9. Madhya Pradesh
10. Maharashtra
11. Orissa
12. Punjab
13. Rajasthan
14. Tamil Nadu
15. Tripura
16. Uttar Pradesh
17. West Bengal